

**चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**  
**Ch. Charan Singh University, Meerut**



पत्रांक : सम्बद्धता / 5066  
दिनांक : 10.01.2023

सेवा में,

✓ सचिव / प्राचार्य,  
श्री द्रोणाचार्य पी0जी0 कालेज,  
दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

R

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 28.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा संस्थान में स्वित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को संस्थान में प्राचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

| S.N. | Name                | Design    | Qualification                       | Univ. Expert   |
|------|---------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 1    | Dr. Girish Kr. Vats | Principal | M.Sc, M.A, M.Ed, M.Phil, NET, Ph.D. | Prof. N.C. Lohani<br>CCSU, Meerut<br>Prof. R.K. Soni<br>CCSU, Meerut<br>Prof. Ravindra Kumar<br>CCSU, Meerut |

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार संस्थान में उपरोक्त अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर शासन / यू0जी0सी / नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति अधिवर्षता आयू पूर्ण किये जाने तक, यथावत रहेगी। प्राचार्य के शिक्षण गुणवता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया जाना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थी की सेवा असन्तोषजनक होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय के मात्र कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)